

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)
पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 19/2018

बउनवान

सरकार जर्घ थानाधिकारी पुलिस थाना मॉंगरोल जर्घ जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारों
(सायल)

बनाम

जितेन्द्र उर्फ जीतू उम्र 32 वर्ष पुत्र साहबलाल जाति बैरवा निवासी बोहत जिला बारों
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)
2- स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 07.11.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र साहबलाल जाति बैरवा निवासी बोहत जिला बारों के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारों द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मॉंगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने एवं अवैध हथियार रखने की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना मॉंगरोल में वर्ष 2015 से 2018 तक की अवधि में कुल 3 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत (2) तथा अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत (1) दर्ज हुये हैं। उक्त प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध अन्तर्गत धारा 41/110 सी.आर.पी.सी.के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले के सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 2 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 60.11.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्जे सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर, प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप पुलिस थाना इटावा जिला कोटा होकर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी.सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना मॉंगरोल में वर्ष 2015 से 2018 तक की अवधि में कुल 3 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत (2) तथा अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत (1) दर्ज हुये हैं। उक्त प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध अन्तर्गत धारा 41/110 सी.आर.पी.सी.के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केंसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप पुलिस थाना इटावा जिला कोटा होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरा गाँव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पडता है। तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप जिला बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप मुझे पुलिस थाना इटावा जिला कोटा किया जाकर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

मेरे द्वारा ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की उभयपक्ष बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना मॉंगरोल में वर्ष 2015 से 2018 तक की अवधि में कुल 3 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत (2) तथा अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत (1) दर्ज हुये हैं। उक्त प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध अन्तर्गत धारा 41/110 सी.आर.पी.सी.के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र साहबलाल जाति बैरवा निवासी बोहत जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत कुल 2 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः गैरसायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र साहबलाल जाति बैरवा निवासी बोहत जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र साहबलाल जाति बैरवा निवासी बोहत जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना इटावा जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 21.11.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारों एवं थानाधिकारी पुलिस थाना इटावा जिला कोटा को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना इटावा जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहम्मद अबूबक)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों

